

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० २९/१७

संस्थित दिनांक-२५.०१.१७

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

१. पप्पू उर्फ रफीक पुत्र अहमद खां उम्र ४५ साल
निवासी पानी की टंकी के पास नहर मौहल्ला गोहद
२. संजू उर्फ संजीव पुत्र लक्ष्मीनारायण जाटव
उम्र २६ साल, निवासी अंबेडकर पार्क के पास
वार्ड क्र० ५ रठियन का पुरा गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक १७.०२.१७ को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता १८६० (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा ३२४ के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक २६.११.१६ को करीब ०८:१५ बजे आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत अंबेडकर पार्क के सामने गोहद में फरियादी रमेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मितकर उसके अग्रशरण में घातक हथियार कुल्हाड़ी से उसकी मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

२. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा किए जाने बावत् आवेदन पेश किया था।

३. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रमेश जाटव घटना दिनांक २६.११.१६ के दो दिन पूर्व एक एक हजार के दो नोट खुल्ले कराने लाया था। अभियुक्तगण उससे पैसे मांग रहे थे। दिनांक २६.११.१६ को सुबह करीब ८:१५ बजे अभियुक्तगण के साथ शरीफ खान व दो अन्य व्यक्ति अंबेडकर पार्क पर मिले जो उससे पैसे मांगने लगे। फरियादी ने कहा कि उसके पैसे खुल्ले नहीं हुए तो अभियुक्त पप्पू खान ने कुल्हाड़ी जो वह लिए था, से मारी जो फरियादी के सिर में लगी। अभियुक्त संजू ने कुल्हाड़ी मारी जो दाहिनी आंख के नीचे लगी और खून निकल आया। शरीफ खान व अन्य दो व्यक्तियों द्वारा लातघूंसे मारपीट की गयी। फरियादी के भतीजे आत्माराम व राहुल ने घटना देखी। अभियुक्तगण रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी, तत्पश्चात् अप०क्र०-३४९/१६ पंजीबद्ध किया गया। चिकित्सीय

परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, नक्शामौका बनाया गया, गिर० कर गिर० पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० १ में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ़्त की धारा ३१३ के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक २६.११.१६ को ८:१५ बजे फरियादी रमेश के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रमेश को घातक वस्तु कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रमेश कुमार अ०सा० १ को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. फरियादी रमेश कुमार अ०सा० १ यह कथन करते हैं कि घटना तीन चार महीने पहले सुबह ८-८:३० बजे की है वह आरोपीगण के साथ अंबेडकर पार्क पर एक हजार रुपये के खुल्ले कराने आया था और खुल्ले न हो पाने से उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया। अभियुक्त पप्पू ने उसे वहा पड़े डण्डे से सिर में मारा जिससे खून निकल आया तथा अभियुक्त संजू ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह पथरों पर गिर पड़ा और आंख के नीचे चोट आई। फिर दोनों ने लातघूसों से फरियादी की मारपीट की जिससे उसे शरीर में चोटें आईं। इसके पश्चात् उसने अपने लडके राहुल जाटव व भतीजे आत्माराम को बुलवाया। जब वे लोग आ गए तब तक आरोपीगण भाग गए। उसका लडका व भतीजा अस्पताल ले गया जहां पुलिस आ गयी थी। देहाती नालिसी प्र०पी० १ पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। साक्षी इस प्रकार से अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा किसी धारदार वस्तु अर्थात् कुल्हाड़ी से अभियुक्तगण द्वारा उसकी स्वेच्छा मारपीट किए जाने के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं करता है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर देने से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

8. प्रकरण में फरियादी रमेशकुमार अ०सा० १ सूचक प्रश्न में इस तथ्य से इंकार करता है कि अभियुक्तगण ने उसे कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई। देहाती नालिसी प्र०पी० १ में जिन साक्षी राहुल एवं आत्माराम का उल्लेख है, उनके संबंध में फरियादी फोन करने पर आने का कथन करता है। उनके

अतिरिक्त अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं दर्शाए गए हैं, जबकि उन साक्षियों की घटनास्थल पर घटना के बाद पहुंचने के संबंध में स्वयं आहत द्वारा कथन किया गया है।

9. प्रकरण में फरियादी रमेश अ०सा० 1 देहाती नालिसी प्र०पी० 1 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है किन्तु उसके विनिर्दिष्ट भाग बी से बी तथा सी से सी के तथ्य अर्थात् अभियुक्तगण द्वारा कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाए जाने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से स्पष्ट इंकार करता है। पुलिस कथन प्र०पी० 2 में भी ए से ए भाग पर उक्त तथ्यों को लिखाए जाने से साक्षी इंकार करता है। प्रकरण में फरियादी रमेश अ०सा० 1 देहाती नालिसी प्र०पी० 1 उसको पढ़कर न सुनाए जाने एवं स्वयं उसके द्वारा पढ़कर न देखे जाने के संबंध में अपना कथन किया है। ऐसे में साक्षी के अभिसाक्ष्य का समर्थन देहाती नालिसी प्र०पी० 1 के तथ्यों से नहीं हो रहा है। अभियोजन का यह तर्क है कि फरियादी द्वारा राजीनामा कर लिए जाने से उसके द्वारा असत्य कथन किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि फरियादी अभियुक्तगण से राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने से इंकार करता है साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि वह असत्य कथन करता तो अभियुक्तगण द्वारा डण्डे से मारने और लातघूसों से मारपीट करने के संबंध में भी असत्य कथन कर सकता था। ऐसे में अभियोजन के तर्क का कोई आधार न होने से उसे कोई लाभ नहीं पहुंचता है।

10. देहाती नालिसी प्र०पी० 1 एवं पुलिस कथन प्र०पी० 2 का जहां तक प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तर के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

11. प्रकरण में आहत के शरीर पर चोटें होना खण्डन के अभाव में अवश्य प्रमाणित है किन्तु उक्त चोटें आहत को धारदार व घातक वस्तु कुल्हाड़ी से कारित हुई, इस संबंध में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा उक्त धारा में उल्लेखित रीति अर्थात् असन, भेदन, काटने वाली उपकरण या ऐसे उपकरण जो आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग किए जाने पर उससे मृत्यु कारित होना संभव हो या अग्नि या तप्त पदार्थ या विष या संक्षारण पदार्थ या किसी विस्फोटक पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव जीवन के लिए हानिकारक हो, के माध्यम से उपहति कारित होने के संबंध में अभिलेख पर सारवान साक्ष्य होना आवश्यक है। फरियादी ने उसे अभियुक्त पप्पू द्वारा डण्डे से तथा अभियुक्त संजू द्वारा धक्का मारकर गिराने से व दोनों के द्वारा लात

घूसों से उपहति कारित करने का कथन किया गया है। ऐसे में अभियुक्तगण का कृत्य संहिता की धारा 324 के अपराध को गठित नहीं करता बल्कि संहिता की धारा 323 के अपराध को गठित करता है, जिसके संबंध में फरियादी द्वारा राजीनामा कर लिये जाने से अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की सकती है।

12. प्रकरण में प्रस्तुत अभियोगपत्र में अभिकथित कुल्हाड़ी जब्त नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकी में जहां पांच व्यक्तियों द्वारा घटना कारित किए जाने के संबंध में तथ्य लेख किए गए हैं जबकि अभियोगपत्र केवल उक्त अभियुक्तगण के कृत्य के आधार पर उनके विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में अभियोजन का मामला संदेहपूर्ण हैं। दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 26.11.16 को करीब 08:15 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत अंबेडकर पार्क के सामने गोहद में फरियादी रमेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मितकर उसके अग्रशरण में घातक हथियार कुल्हाड़ी से उसकी मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्तगणके मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

15. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश